702वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 दिसम्बर 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 702वीं बैठक दिनांक 16/12/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
3. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. Case No 9368/2022 M/s Maa Narmada Crusher, Shri Ram Lal Mandloi, Prop., Village - Sondul, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.90 ha. (8858 Cum per annum) (Khasra No. 46/1), Village - Sondul, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar (MP) (EIA)

प्रस्तावित खनिज पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के वॉयलेशन ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 16/12/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामलाल मंडलोई एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Ramlal Mandaloi, Proprietor, M/s MAA NARBADA CRUSHER, Village Sondul Tehsil Manawar District Dhar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	46/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.90 hectare.
स्थल	Village Sondul, Tehsil Manawar, Dist. Dhar (Madhya Pradesh)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 513 दिनांक 13/03/18 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
टॉर	सेक की 603वीं बैठक दिनांक 04/11/22 को अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 2259 दिनांक 07/12/22 के द्वारा पत्थर–8,858 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट ।	

702वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 दिसम्बर 2023

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–8,858 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार -- पत्थर–8,858 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3117 दिनांक 11/11/2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 10.90 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3117 दिनांक 11/11/2021 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3117 दिनांक 11/11/2021 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक ने ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं किया गया है, अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत करें ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 640 मीटर पर उद्योग, उत्तर दिशा में 390 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पूर्व दिशा में 570 मीटर पर आबादी है, प्रश्नाधीन खदान के अंदर पश्चिम दिशा में मकान हैं, प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–34 के सरल क्रमांक–25 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	जन सुनवाई दोरान रोजगार, पौधा रोपण, जलछिडकाव एवं स्कूली बच्चों को स्टेशनरी का वितरण इत्यादि आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया कि पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि बिना पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के खनन् कार्य करने बावत् उनके द्वारा यह प्रकरण वॉयलेशन की श्रेणी में आवेदन किया गया है और उन्हे

टॉर –वाईलेशन जारी किया गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान ग्रामपंचायत का ठहराव प्रस्ताव पीपी ने पत्र क्रमांक 121 दिनांक 23/05/2017 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 640 मीटर पर उद्योग, उत्तर दिशा में 390 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पूर्व दिशा में 570 मीटर पर आबादी है। गुगल ईमेज के अनुसार प्रश्नाधीन खदान के अंदर पश्चिम दिशा में संरचनाये दृष्टिगोचर थी। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह अस्थायी झोपडी थी जो कि वर्तमान में विधमान नहीं है। खदान पर मुरूम ओव्हर बर्डन हटाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी का पत्र क्रमांक 2937 दिनंक 14/10/2021 कार्यालग्राम पंचायम सोण्ढुल का पत्र दिनांक 16/07/2021 भी प्रस्तुत किया गया था जिसमें उल्लेख है कि ओव्हर वर्डन को हटाकर ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण की गई कच्ची सडक बनाने हेतु भराव किया गया था।

वाईलेशन– टॉर की प्रमुख शर्तो के कम्पलाईन्स के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई

S. N	Stipulated Conditions	Compliance Status
1.	परियोजना प्रस्तावक के विरूद्व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबध में वैधानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।	विधि सम्मत कार्यवाही के लिए सहमत ।
2.	साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी न मिलने तक उसे स्थापना एवं सचांलन की सहमति प्रदान न की जावें।	सहमत है। परियोजना प्रस्तावक पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के उपरान्त म. प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा कन्सेन्ट टु स्टेब्लिस्ड व कन्सेन्ट टु ऑपरेट लेने के उपरान्त ही समस्त खनन कार्य शुरू करेगा।
3	परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरण मजूरी मिलने तक कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य न करे। चल रहे समस्त कार्य तत्काल बंद करे।	परियोजना प्रस्तावक वर्तमान मे किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नही कर रहा है तथा समस्त कार्य इससे पूर्व किये गये थे।
4	साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह भी शपथ पत्र भी देगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य सभी न्यायालयों एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के सभी परियोंजना के संबंध में दिये गये वैद्यानिक निर्णयों एवं निर्देशों को अक्षरशः पालन करेगा एवं भविष्य मे किसी भी प्रकार का पर्यावरण उल्लधंन की पुर्नरावृत्ति नहीं करेगा।	सहमत है परियोजना प्रस्तावक इस आशय का शपथ पत्र दे दिया गया है ।
6	प्रस्तावित स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से लेकर आवेदन दिनांक तक परियोजना प्रस्तावक द्वारा return फाईल की प्रमाणिज बैलेस शीट की प्रति जमा करे।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार उत्पादन नहीं किया गया एवं व्यस्तता के कारण लीज पर ध्यान नहीं दिया एवं अन्य लोगों के द्वारा उत्पादन किया गया एवं मेरे द्वारा अन्य लोगों पर किसी भी प्रकार कार्यवाही ना करने के कारण मैं अपनी भूल स्वीकार करता हुं। इस कारण उपरोक्त शर्त के संबंध में मेरे पास कोई भी प्रमाणित विवरण उपलब्ध नहीं है।

	परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनि चत करेगा।और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कच्ची सड़क के स्थान पर वाटर बाउंड मैकडैम (WBM) से निर्मित पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाएगा, जो पटटा क्षेत्र को जोड़ने वाली 800 मीटर लंबी सड़क उत्तर पश्चिम दिशा में है, उसी सड़क पर हमारी प्रस्तावित खदान का भी खनिज का परिवहन होगा। इस WBM सडक की कुल लागत 7,20,00 रूपये है।
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुच मार्ग के साथ साथ लीज क्षैत्र की परिधि में वन विभाग परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग से परामर्श कराकर वृक्षारोपण करेगे जिसके तहत हरित पट्टी क्षेत्र मे 800 पौधे लगाये जायेगे और साथ ही खदान के उत्तर प चम दि ा मे स्थित सडक पर 800 मी. लम्बाई मे दोनो तरफ दो लाईनो मे ंकुल 800 पौधे लगाये जायेगे कुल 1900 पोधे निकट ग्राम सोन्डूल एवं गोलपुरा के ग्रामीणों को वितरित किये जायेगें। इस प्रकार कुल 3500 पोधौ का पोधारोपण किया जायेगा।
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साईज गिट्टी धूल जो लीज क्षैत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है को हटाने की योजना बनाई जायें एवं उसे म्। में सम्मिलित की जाये।	परियोजना का संचालन होने पर खदान मे जीरो साईज मिट्टी/धूल जमा नहीं होगी , हम खदान की सड़क पर नियमित जल छिडकाव करेंगे , क्रेशर में फीड करने के पूर्व ऊपर त्वबा इवनसकमते पर जल छिडकाव , कन्वेयर बेल्ट पर जल छिडकाव , बेल्ट कन्वेयर से गिट्टी thick fabric से बनी हुई duct जिसकी लम्बाई को कम ज्यादा कर नियंत्रित(adjusting length) करने की व्यवस्था रहेगी से होकर न्यूनतम ऊंचाई से ढेरी पर गिरेगी जिससे धूल कम से कम उड़ेगी इसके अतिरिक्त प्लांट क्षेत्र की परिधि पर वृक्षारोपण किया जायेगा।
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूशण नियन्त्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेच) के ओए नम्बर 304/2019 मे जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृश्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिये न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।	निकटतम इंडस्ट्रीज , आबादी क्षेत्र व पब्लिक , जन उपयोग क्षेत्र क्लस्टर की परिधि से 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर हैं , केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ,वं माननीय एनजीटी (प्रिसिपल बेच) के ओ, नम्बर 304/2019 मे जारी निर्देशानुसार निर्धारित दूरी से अधिक है।
	मैन्यूअल खनन से सम्बन्धित पाउडर/डस्ट फैक्टर को मूल्यांकन कर दस्तावेजो में सम्मिलित किया जाना चाहिये । यह सस्पैंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पडने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्याकन करने मे सहायक होगा।	प्रस्तावित खनन परियोजना अर्द्धयांत्रिक खुली विधि से खनन कार्य किया जाएगा। खनन कार्य में गिली विधि द्वारा ड्रिलिंग कि जायेगी एवं ब्लास्टिंग से जो पत्थर तोड़े जाएगें वो एक्सक्वेटर से डमपर में लोड किये जायेगे इस कार्य में कोई श्रमिक सीधे रूप से जुडे हुए नही है। खदान में उड़ने वाली धूल मिट्टी से श्रमिको पर पहुंचने वाले हानिकारक प्रभाव को रोकने के उपाय के तहत श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेगें तथा खदान श्रमिको का साल मे दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा।
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक सभंव हो गैर परपरागत उर्जा स्त्रोतो के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इस रिपोर्ट में सम्मलित की जाये।	सौर ऊर्जा के रूप में अपरंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कार्यालय और परिवहन सड़कों एवं खदान की सीमा पर 8 सौलर लाईट लगायी जाएगी। गैर–परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, मुख्य रूप से सौर ऊर्जा को अपनाने को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। पत्थर खनन केवल दिन में सूर्य प्रकाश की अवधि में ही किया जायगा , ड्रिलिंग उनबापदह ंदक जतंदेचवतज के लिए डीजल इंजन द्वारा चालित मशीन का उपयोग प्रचलित है, गैर पारंपरिक उर्जा चालित मशीन उपलब्ध होगी तो अवश्य परियोजना प्रस्तावक इस पर विचार कर उपयोग में लेगा।
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालको के सहयोग से क्लस्टर मे सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूशण नियत्रंण बोर्ड के माध्यम एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूशण हेतु कन्टीन्यूस मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसको डिस्प्ले किया जावें एवं अन्य ऐसं पर्यावरणीय बिन्दूओं जो के समान रूप से सभी पर लागू है की सामुहिक रूप से कार्यवाही सुनि चत की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें	प्रस्तावित परियोजना के 500 मीटर की परिधि मे कुल 4 खदानें स्थित है, इन सभी खदान संचालकों के सहयोग से पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के द्वारा सुझाये स्थानों पर खदानों से होने वाले प्रदूषण जिसमे वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को दर्शाने के लिये निगरानी उपकरण प्रस्तावित खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के एक वर्श के भीतर सभी खदान मालिकों के सहयोग से लगाया जायेगा। परियोजना की परिधि मे पड़ने वाली खदानों के चारों और 2186 मीटर लम्बी कैचड्रेन, 9 सिल्टेशन पोण्ड सभी खदान संचालकों के वित्तीय सहयोग से मिलकर बनाएगें। यह गिट्टी पत्थर पानी मे घुलता नही है एवं किसी भी रासायनिक प्रकिया से नही गुजरता है इसलिए वर्शा जल मे किसी प्रकार का प्रदूषण सम्भव नही

		है । वर्शा जल के साथ बहने वाली मिट्टी, ककंड़ सिल्टेशन पौंड मे जमा होते रहेगें जिन्हे समय समय पर हटाया जायेगा ताकि स्वच्छ वर्शा जल आगे प्रवाहित होता रहेगा ।
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालको के सहयोग से क्लस्टर मे सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबधन हेतु जिला प्र ाासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्ययोजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।	क्लस्टर में सम्मिलित छोटी छोटी 4 माइंस है जिनका कुल क्षेत्रफाल 10.9 हैक्टयर है (उक्त खदान सहित) इन सभी खदानों की site specific समुचित पर्यावरणीय प्रबधन हेतु EIA EMP तैयार की है ।
	परियोजना प्रस्तावत द्वारा खनिज अधिकारी, राजस्व एवं स्थानीय वन विभाग अधिकारियो की उपस्थिति मे प्रस्तावित खदान का सीमांकन करवाया जाये एवं 500 मीटर की परिधि मे सचालित स्वीकृत अन्य खदानों का वास्तविक परिदृशय तथा पर्यावरण की दृश्टि मे संवेदनशील क्षैत्रो की वास्तविक दूरी का आंकलन की अभिप्रमाणित जानकारी का ईआईए प्रतिवेदन में समावे ा किया जाये	सहमत है परियोजना प्रस्तावत द्वारा खनिज अधिकारी, राजस्व एवं स्थानीय वन विभाग अधिकारियो की उपस्थिति मे प्रस्तावित खदान का सीमांकन करवाया जायेगा 500 मीटर की परिधि मे सचालित स्वीकृत अन्य खदानों का वास्तविक परिदृशय तथा पर्यावरण की दृश्टि मे संवेदनशील क्षैत्रो की वास्तविक दूरी का आंकलन की अभिप्रमाणित जानकारी का ईआईए प्रतिवेदन में समावेश कर लिया गया है।
	The PP shall stop all the mining operations till the grant of EC.	PP will start mining operations after obtaining EC.
	Protection plan for nearby industry and human settlement shall be prepared and discussed in the EIA report.	The nearest industries, populated areas and public and public utility areas are at a distance of more than 500 meters from the perimeter of the cluster. Blasting of small dia holes will be done with small quantity of explosive which will generate very little ground vibration and momentary sound which will not have any impact on the industry and population area located 500 meters away from the cluster. Mining work will be done in daylight. There will be no noise or bright lights at night and there will be no disturbance in the comfort of anyone in the populated area. Apart from this, saplings will be planted on both sides of the transport road. All these are included in EIA EMP.
	There is slight difference in the area of sanctioned lease in the DSR and approval letter hence same shall be rectified with the concerned MO and attached with EIA report.	Difference of total lease area in DSR and approval letter has been rectified by concerned MO and details given in the LOI.

	Preparing of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.	Remediation plan, natural & community resource augmentation and economic benefit derived due to violation has been prepared and incorporated EIA EMP .
	The remdiation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.	Remediation plan and community resource aughmentation plan has been prepared as an independent chapter No. 13 in the EIA report by the accredited consultant Namely Apex Mintech Consultants.

उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना से हुई क्षति हेतु Remediation Plan प्रस्तुत किया गया। समस्त प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा प्रकरण में MOEF & CC का नोटिफिकेशन दिनांक 08 मार्च 2018 एवं दिनांक 07 जुलाई 2021 के परिप्रेक्ष्य में निम्न जानकारी प्रस्तुत करेन हेतु निर्देशित किया :–

a. बिना पर्यावरण स्वीकृति के माईन संचालन करने के फल स्वरूप हुये इकोलॉजिकल डेमेज का आंकलन कर रेमेडिएशन प्लान एवं इसके इम्पलिमेन्टेशन में होने वाले व्यय का आंकलन करें।
b. इसी प्रकार Natural and community resources augmentation plan इसके इम्पलिमेन्टेशन में होने वाले व्यय का आंकलन करें तथा
c. इस वाईलेशन की अवधि में परियोजना संचालन से प्राप्त आर्थिक लाभ की गणना करें।

ADS- उपरोक्त a,b,c बिन्दुओं की जानकारी के आधार पर बैंक गारन्टी एवं पेनाल्टी राशि का निर्धारण कर प्रकरण को पुनः प्रस्तुत करें।

2. <u>Case No 9590/2023 Shri Dheeraj Firojia, Lessee, R/o 24, Tatya Tope Marg, Freeganj, District-Ujjain (MP)-456001, Prior Environment Clearance for Banskhedi Murrum Quarry in an area of 9.00 ha. (30000 cum per annum) (Khasra No. 280/3, Village-Banskhedi, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [404282] (EIA)</u>

प्रस्तावित खनिज मुरम खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ई.आई.ए. का है, जिसमें आज दिनांक 16/12/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री धीरज फिरोजिया, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

702वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 दिसम्बर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri DHEERAJ FIROJIA, Lessee, R/O 24 Tatya Tope Marg ,Freeganj Ujjain (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	280/3 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	9.00 hectare.
स्थल	ग्राम BANSKHERI तसहील Ujjain जिला Ujjain (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 6868–71 दिनांक 13/05/22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	प्रस्तावित खनिज मुरम की होने के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
टॉर	सेक की 623वीं बैठक दिनांक 22/02/23 को अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 3165 दिनांक 21/3/23 के द्वारा 30,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम–30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार -- मुरम–30,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1608 दिनांक 16/09/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1608 दिनांक 16/09/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1608 दिनांक 16/09/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	परियोजना प्रस्तावक ने ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव अपलोड नहीं किया गया, प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 28/08/2021 प्रस्तुत किया जिसे समिति ने मान्य किया, जिसके अनुसार ग्राम सभा को खनन कार्य से कोई आपत्ति नहीं है।	

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में 04 पेड है जिनमें से कोई भी पेड काटा नहीं जावेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक–9 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	जन सुनवाई दौरान वृक्षारोपण, रोड मरम्मत, रोजगार, सडक, विकास कार्य, आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 मीटर पर आबादी, पक्का रोड़ पश्चिम दिशा में 260 मीटर, पूर्व दिशा में 60 मीटर एवं उत्तर दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़, कच्चा रोड़ दो जगहों पर आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर से निकल रहा है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर दिशा में से जो कच्चा रोड जा रहा है उसे गैर खनन के रूप में छोडा गया है एवं वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था उत्तर दिशा में शासकिय भूमि पर प्रस्तावित की है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान मध्य भाग से जो कच्चा रास्ता जा रहा है वह पगडण्डी है। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये की वैकल्पिक मार्ग लिये संबंधित ग्राम पंचायत से विधिवत अनुमति प्राप्त कर लेवें। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 04 पेड है जिनमें से कोई पेड काटा नहीं जावेगा। परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये की खदान क्षेत्र में जो वृक्ष लगे हुये है उनकी केनोपी कवर करते हुये उनके चारों और 01 मी. परिधि का चबूतरा बनाके श्रमिको के बैठने के लिये स्थान बनाया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम–30,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 55.65 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 04.15 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम बासखेडी के रोड की मरम्मत की जाएगी।	**1,00,000**
ग्राम बासखेडी के शासकीय **प्राथमिक** विघालय में अधोसंरचना विकास हेतु वितिय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	**60,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 11000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी एवं नॉन माईनिंग क्षेत्र (1. 5178 Ha एवं 0.1810 Ha) पर तीन लाइनो में पौधारोपण किया जायेगा)	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, सफेद कस्टार, काला सिरस, सफेद सिरस, सिस्सु आदि।	4000
2	शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर तारबंदी के साथ पौधा रोपण किया जायेगा	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	5000
	आस पास के ग्रामीण किसानो को पौधे वितरित किये जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	2000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. <u>प्रकरण क्रमांक 9036/2022 – श्री जीवन रघुवंशी, ओनर, ग्राम अकोलिया तहसील एवं जिला धार (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1022/1/जी/2पेकी, रकबा 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–14,550 मी.^{3}, ग्राम खेड़ा तहसील एवं जिला धार (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।</u>

प्रकरण समिति की पूर्व की 649वीं बैठक दिनांक 07/06/23 को प्रस्तुत हुआ था । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :–

1. खदान क्षेत्र एवं स्टडी एरिया का विंडरोज डाईग्राम ।
2. प्रस्तुतीकरण के समिति ने पाया कि वायु मापन के दौरान पी.एम. 2.5 की वैल्यू कम प्रतीत हो रही है, अतः म.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, धार के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पी.एम. 2.5 की वैल्यू पुनः सत्यापित कर प्रस्तुत करे ।

702वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 दिसम्बर 2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण समिति की पूर्व 666वीं बैठक दिनांक 04/08/23 को डिलिस्ट कर सिया को प्रेषित किया गया था । सिया के पत्र दिनांक 08/11/2023 .के द्वारा रिलिस्ट कर सेक को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 16/12/2023 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन रघुवंशी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा म.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, इंदौर के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पी.एम. 2.5 की मॉनिटरिग वैल्यू एवं अन्य जानकारी प्रस्तुत की गई थी समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई मॉनिटरिग वेल्यू और बोर्ड द्वारा की गई वेल्यू समतुल्य है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–14,550 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.86 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 04.25 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम खेड़ा के आंगनवाड़ी केंद्र में पंखे बच्चों के लिए खेल के (2* 1500) उपकरण और आर ओ सहित पिने के पानी की व्यवस्था की जाएगी	40,000
ग्राम खेड़ा के शासकीय विद्यालय में बच्चो को गणवेश दिए जायेंगे	15000
ग्राम खेड़ा के शासकीय विद्यालय पुस्तकालय में विभिन्न विषयो की किताबे दी जाएँगी	35,000
ग्राम के रोड की मरम्मत की जाएगी	70,000
ग्राम खेड़ा के आंगनवाड़ी केंद्र में पंखे (2* 1500)बच्चों के लिए खेल के उपकरण और आर ओ सहित पिने के पानी की व्यवस्था की जाएगी	40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर ज़ोन में 625 मीटर की लम्बाई पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	500
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (700 मीटर) के ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	700
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. <u>Case No 9272/2022 Shri Hari Singh Raghuwanshi, Owner, Village - Khandwa, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, MP Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone Gitti - 25000 cum per annum, Murrum - 20000 cum per annum) (Khasra No. 646/2, 647 Peki) Village - Khandwa, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, (MP)</u>

पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण को सेक की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 को अनुशंसित किया गया था।

प्रकरण समिति की पूर्व की 649वीं बैठक दिनांक 07/06/23 को प्रस्तुत हुआ था । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दियेः–

1. खदान क्षेत्र एवं स्टडी एरिया का विंडरोज डाईग्राम ।
2. प्रस्तुतीकरण के समिति ने पाया कि वायु मापन के दौरान पी.एम. 2.5 की वैल्यू कम प्रतीत हो रही है, अतः म.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, धार के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पी.एम. 2.5 की वैल्यू पुनः सत्यापित कर प्रस्तुत करे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण समिति की पूर्व 666वीं बैठक दिनांक 04/08/23 को डिलिस्ट कर सिया को प्रेषित किया गया था ।

सिया के पत्र दिनांक 12/09/2023 .के द्वारा रिलिस्ट कर सेक को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 16/12/2023 को सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन रघुवंशी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा म.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, इंदौर के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पी.एम. 2.5 की मॉनिटरिंग वैल्यू एवं अन्य जानकारी प्रस्तुत की गई थी समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गई मॉनिटरिंग वेल्यू और बोर्ड द्वारा की गई वेल्यू समतुल्य है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम–20,000 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 36.95 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. .05.55 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम गोंड गांव के शासकीय विद्यालय में अधोसंरचना विकास हेतु वितिय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।	**1,50,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (940 मी पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	900
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (1000 मीटर) के दोनों तरफ एक लाईन में 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	**500**

3	जलाशय के निकट लगभग हेक्टेयर क्षेत्र 2 में तार बंदी के साथ पौधे लगाए जायेंगे	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	**2200**
4	प्रस्तावित खनन पट्टे के उत्तर दिशा में जलाशय को जोड़ने वाली सड़क पर 1200 मीटर तक की लम्बाई पर सड़क के दोनों लाइनों में पौधे लगाए जायेंगे 2 तरफ	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	**1200**
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. <u>Case No 10718/2023 M/s Jai Minerals, Shri Kailash Joshi, Partner, R/o Village-Falna, Post-Falna, Phalna (Rural), District-Pali (RJ)-306116, Prior Environment Clearance for Khandwan Stone Quarry in an area of 4.890 ha. (Expansion from 25003 cum per year to 3,00,000 cum per year) (Khasra No. 369/1), Village Khandwan, Tehsil & District Chhatarpur (M.P.)B-2.</u>

प्रस्तावित प्रकरण में पूर्व में सिया द्वारा पत्र कमांक 610 दिनांक 18/05/2021 के माध्यम से 4.890 हे. लीज क्षेत्र से 25,003 घन मी. प्रतिवर्ष पत्थर खनन हेतु ई.सी. जारी की गई थी। प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार 3 लाख घन मी. प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है । प्रकरण की समीक्षा आज दिनांक 16/12/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री कैलाश जोशी, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, ऑनलाईन मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri JAI MINERALS, Partner, M/s JAI MINERALS, S/O Kailash Joshi, Vill-Falna, Post -Falna, Phalna (Rural) District -Pali, Rajasthan Pin- 306116	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	369/1(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.890 hectare.

702वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 दिसम्बर 2023

स्थल	Village Khandwan, Tehsil & District Chhatarpur (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 262 दिनांक 21/01/21 के द्वारा स्वीकृत ।
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
पूर्व ई.सी. का विवरण	सिया के पत्र क्रमांक 610 दिनांक 18/05/21 के द्वारा पत्थर–25,003 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
नया/क्षमता विस्तार	**यह प्रकरण क्षमता विस्तार का है ।**
पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा जारी ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–25,003 घनमीटर से 3,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–25,003 घनमीटर से 3,00,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1084 दिनांक 24/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया कि यह स्वयं की प्रस्तावित खदान है । अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी की है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1084 दिनांक 24/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1084 दिनांक 24/05/23 अनुसार अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कदवा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 07/12/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र के अंदर कुछ पेड है। Tree Felling - No

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– एक कच्चा घर लगभग 20 मी. परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया कि यह बाडा है कोई रहवासी स्थान नहीं है।
	पश्चिम दिशा– कच्चा रोड लगभग 15 मी. एवं एक कच्चा घर लगभग 37 मी. प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया कि यह कोई रहवासी स्थान नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–64 के सरल क्रमांक–48 पर दर्ज है ।

प्रकरण का परिक्षण

- **खदान क्षेत्र की केएमएल ईमेज के अनुसार लीज क्षेत्र में खनन कार्य होना नहीं पाया गया।**
- अनुमोदित **माईनिंग प्लान के पृष्ठ क्रमांक–15 के अनुसार लीजी के अस्वस्थ होने के कारण वर्ष 2021–22 तथा वर्ष 2022–23 के अवधि में शून्य उत्पादन दर्शाया गया है।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उपरोक्त कारणों से खनन क्षेत्र में –

- फेन्सिंग कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है।
- बेरियर जोन में वृक्षारोपण कार्य भी नहीं हुआ है।
- पुरानी ई.सी के अनुसार पहले तीन वर्षो में 7350 पेड खसरा न. 5434 में लगााने का पीपी द्वारा कथन दिया गया था।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि लीज क्षेत्र लगभग 09 मी. की पहाडी पर स्थित है। और ग्राउन्ड लेबल 335 व गहराई उसमें 310 मी (सतह से लगभग 25 मी. गहराई) तक खनन कार्य प्रस्तावित है एवं भूजल स्तर लगभग 40 से 45 मी. की गहराई पर है। अतः एक सुरक्षित क्षेत्र तक का खनन कार्य किया जाना है।
- खदान क्षेत्र के अंदर स्थित पेडों को नहीं काटा जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ईसी कम्पलाईन्स रिपोर्ट की शर्तो को पूर्ण करने की सहमति दी गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार 25,003 घनमीटर से 3,00,000 घनमीटर/वर्ष क्षमता विस्तार हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 3,00,000 घनमीटर/वर्ष होगी।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.78 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 10.53 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अग्रलिखित धनराशि आंगनवाडी केंद्र कदम्बा की अधोसंरचना विकास हेतु खर्च की जाएगी।	1,80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में	सिस्सू, काला सिरस, सफ़ेद सिरस, नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफल हर पेड़ के बीच 4 में एक	2,000
2	खदान के परिवहन मार्ग एवं मुख्य मार्ग में वृक्षारोपण (मीटर 01 पौधो की न्यूनतम ऊंचाई)	कला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । (गार्ड के साथ-ट्री)	1,000
	ग्राम कदम्बा के ग्राम वासियों में पौधो का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, सीताफल एवं अमरुद	3,000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त शर्तो के अधीन परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. <u>Case No 10711/2023 Shri Rajmal Kumawat, Lessee, R/o 144/1, Kumawat Mohalla, Pipalkhunta, Tehsil & District-Ratlam (MP)-457001, Prior Environment Clearance for Sarwanikhurd Stone Quarry in an area of 1.70 ha. (Gitti-10000, M-sand-15000 cum per year) (Khasra No. 173), Village Sarwanikhurd, Tehsil- Ratlam, District-Ratlam (M.P.). (TOR)</u>

702वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 दिसम्बर 2023

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 16/12/23 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Rajmal Kumawat** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RAJMAL KUMAWAT, Lessee, /o-144/1, Kumawat Mohalla Pipalkhunta, Tehsil & District- Ratlam (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	173 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.70 hectare.
स्थल	Village Sarwanikhurd, Tehsil- Ratlam, District- Ratlam (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 452 दिनांक 24/02/23 द्वारा लीज स्वीकृत, जिसमें पत्र क्रमांक 1462 दिनांक 06/07/23 के द्वारा गिट्टी निर्माण हेतु पत्थर खनिज जोड़े जाने की अनुमति दी गई ।	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट, डिया से संबंधित नहीं है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–10,0000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–15,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–10,0000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–15,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1576 दिनांक 20/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 14 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 26.95 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1576 दिनांक 20/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1576 दिनांक 20/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप	

	डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिबडौद जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–8 दिनांक 26/12/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– नदी लगभग 317 मी.
	दक्षिण दिशा– प्राकृतिक नाला लगभग 52 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1576 दिनांक 20/07/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों (जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

7. Case No 10713/2023 Shri Deepak Valbhani, Director, M/s Vertical Homes LLP, 206, Akashdeep Complex, Sapna Sangeeta Road, District-Bhopal (MP)-452001, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of "CLIFFTON PALLADIUM" in an area of 2.358 ha. (70941.88 sq.m.) (Khasra no. 453/1, 455/1/5/2, 455/1/6/3, 455/1/7, 455/1/3, 452/5,452/3/3/1,454/3/1), Village-Musakhedi, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) B-2.

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Construction of "CLIFFTON PALLADIUM" in an area of 2.358 ha. (70941.88 sq.m.) (Khasra no. 453/1, 455/1/5/2, 455/1/6/3, 455/1/7, 455/1/3, 452/5,452/3/3/1,454/3/1), Village-Musakhedi, Tehsil-Indore, District-Indore (MP).

The case presented by Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P and authorized representatives behalf of PP Shri **Deepak Valbhani, Director**, from **M/s Vertical Homes LLP**. PP submitted following details about the projects on Parivesh Portal:-

SN	Information Required	Details
1.	**Project**	SIA/MP/INFRA2/450001/2023
2.	**Project Name**	Shri Deepak Valbhani, Director, M/s Vertical Homes LLP, 206, Akashdeep Complex, Sapna Sangeeta Road, District-Bhopal (MP)-452001, Prior Environment Clearance for Proposed Construction of "CLIFFTON PALLADIUM" in an area of 2.358 ha. (70941.88 sq.m.) (Khasra no. 453/1, 455/1/5/2, 455/1/6/3, 455/1/7, 455/1/3, 452/5,452/3/3/1,454/3/1), Village-Musakhedi, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [450001]. **Total Plot Area -** 23579.9 **Sq.Mt., Total Built up Area -** 70941.88m2 **Cat. 8(a)Building Construction Projects.**
3.	**Description of Project**	M/s. VERTICAL HOMES LLP is proposing to construct Multidwelling project with Offices and shops at Khasra no. 453/1, 455/1/5/2, 455/1/6/3, 455/1/7, 455/1/3, 452/5,452/3/3/1,454/3/1 at Vill. Musakhedi Teh & Dist. Indore (M.P.).
4.	**Area details as per Form -1**	Total Plot Area: 23579.9 m2 Area under Road widening – 761.31 m2 Net Plot Area – 23456.44 m2 Total Built up Area – 70941.88m2 Greenbelt area – 2342.64 m2 Podium Parking – 178 ECS Stilt Parking – 275 ECS Basement parking – 229 ECS Total Parking– 682 ECS
5.	**Project Proposal**	New.

6.	**Land Area**	2.358 ha.
7.	**Project Cost**	5293 Lakhs.
8.	**Undertaking No Construction start at site**	PP Submit undertaking affidavit dated 23/09/2023.
9.	**Land Registraion dt.**	Dated 09/01/2020.
10.	**Lat./Log. As per Form -1**	Latitude - 22°41'40.55"N Longitude - 75°55'0.81"E
11.	**NBWL Application Status**	WL/MP/INFRA/450010/2023. Proposed Land distance - 5 km away from Ralamandal wild life Sanctury.
12.	**Building Permission**	Letter No. 3935 dated 06/06/2023.
13.	**T& CP Permission**	Copy aploaded on Parivesh Portal.
14.	Extra Treated Water and Solid waste disposal	P P Apply vide letter dated 12/10/2023.
15.	**Water Requrement**	Total water requirement for the project is 296.14 KLD and fresh water supply will be 162.49 KLD. Source of the water will be Ground water.
16.	**DG set details**	2x160 KVA each, 2x200 KVA each, 1x25 KVA
17.	Parking details	682 ECS
18.	**Env. Consultant**	Shri Pradeep Chandan & Shri Shubham Dubey, M/s Envisolve LLP, Indore (M.P.).

During presentation PP submitted that proposed project is in 05 parts and T&CPO approval has been obtained. Within project area some shed like structure is existed PP submitted that this is their site office.

ADS– समिति की बैठक में प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गईः–

1. अद्यतन भूमि विकास नियम के अनुसार ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत प्रावधानित क्षेत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावें।
2. टीएनसीपी का प्लान की स्पष्ट प्रति ईआई रिपोर्ट के साथ संलग्न करें।
3. प्रस्तावित प्रोजेक्ट में ऑफिस/कर्मशियल क्षेत्र में जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन की संख्या को बताया है व तर्कसंगंत प्रतीत नहीं होती अतः स्पष्ट जानकारी ईआई रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
4. पार्किग स्थान में वाहन की संख्या की वास्तविक गणना व तदानुसार पार्किग विवरण यथानुसार दर्शायी जाये।
5. फ्लोटिंग पॉपुलेशन के लिये वाशरूम की संख्या उनके अनुरूप दर्शाया जाये।
6. दो बिल्डिंग के बीच में गाडियो के आने जाने के लिये नियमानुसारे रोड की चौडाई कितनी होनी चाहिये स्पष्ट करें।
7. एसटीपी का डिटेल्स एवं लोकेशन नहीं दिखाया गया है, स्पष्ट करें।

8. प्रोजेक्ट एरिया के अंदर स्थित पेडों की स्थिति एवं यदि काटा जाना प्रस्तावित है तो उसका विवरण ।
9. एक्रेडियेटेड एक्सपर्ट संस्थान द्वारा ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करें ।
10. एमपीईबी में पावरलोड का क्या डिमाण्ड किया है।
11. समिति द्वारा सुझाायी गई पुर्नरक्षित सीईआर योजना (जैसे इंदौर शहर में पक्षियों के आवास स्थलो पर संख्या एवं स्थानीय आवास हेतु एक स्थानीय एक्सपर्ट से एक अध्ययन, 01 किलो मी के दायरे में नगर निगम के पार्क का विकास, इंदौर जू के विकास में सहयोग एवं स्कूली बच्चों के लिये रालामण्डल तथा सिरपुर में भ्रमण एवं जनजागृति अभियान आदि)

12- Advertisment material like brochure etc. to be submitted.
13- Sun Path study shall be conducted as per standard norms.
14- All NOCs (Water/MSW/Fire/G.W. use, etc.) to be submitted .
15- Ground water availability and quality data of the project area.
16- Explore the possibility of Narmada water supply to the project area so that dependency on use of shall be GW reduced.
17- Looking to the use of e-vehicles appropriate battery charging points per towers shall be provided.
18- Proposed contribution of solar light shall be 30 % of total power consumption.
19- Provision of Roof top greening, roof top solar panel and electric charging points.
20- For indoor air quality the ventilation provisions shall be made as per National Building Code of India.
21- Provision of Public Facilities (Toilets for men & women separately) in appropriate numbers to the house hold workerts and visitors.
22- Reviced plantation scheme as suggested by committee

8. <u>Case No 10717/2023 Shri Jagdish Dangi, Lessee, Village-Padoniya, Panchayat-Padoniya, Biaora, District-Rajgarh (MP)-465674, Prior Environment Clearance for Padoniya Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (4000 cum per year) (Khasra No. 192/1), Village-Padonaya, Tehsil-Biaora, District-Rajgarh (MP)- DEIAA Case.</u>

प्रकरण आज सेक की 702वीं बैठक दिनांक 16/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

9. <u>Case No 10719/2023 Shri Manjeet Petwar, Project Manager, M/s Kaluwala Construction Private Limited, 201, 2nd Floor, Iris Tech Park, Sohna Road, Sector-</u>

48, District-Gurugram (HR)-122018, Prior Environment Clearance for Banegaon Metal Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (197806 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Benegaon, Tehsil-Kirnapur, District-Balaghat (MP) (TOR)

प्रस्तावित खदान का टॉर प्रस्तुतीकरण है, जिसमें आज दिनांक 16/12/23 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Manjeet Petwar Online** एवं श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Manjeet Petwar, Project Manager, M/s KALUWALA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED, 201 - 2nd Floor, Iris Tech Park, Sohna Road, Sector 48,Gurugram (Haryana) 122018	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	01 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village- Benegaon, Tehsil- Kirnapur, District-Balaghat (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 935 दिनांक 09/08/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–1,97,806 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–1,97,806 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1087 दिनांक 29/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.537 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1087 दिनांक 29/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1087 दिनांक 29/09/23 अनुसार 430 मीटर पर नहर एवं 200 मीटर की दूरी ग्रामीण मार्ग स्थित है, शेष 500 मीटर की परिधि में नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बेनेगांव जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र पहाडी पर स्थित है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना के पत्र दिनांक 21/10/23 अनुसार अनुमोदित जिला सर्वेक्षण में इस खदान का नाम नहीं है, ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगे । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. खदान क्षेत्र पहाडी पर स्थित है। अतः खनन के पश्चात ढलान क्षेत्र का स्लोप एंगल क्या रहेगा ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जायें।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित गांव वालों से स्थानीय नाम भी प्राप्त कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. सरफेस रनऑफ एवं मृदा संरक्षण मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

10. ईआईए रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

10. <u>Case No 10720/2023 Shri Prakash Mandhwani, Project Proponent, House No. 59A, Prabhu Nagar, Idgah Hills, District-Bhopal (MP)-462001, Prior Environment Clearance for Chandbad Kadeem Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (57330 cum per year) (Khasra No. 342/1/2, 346/1/2/1, 346/1/2/2, 348/2P), Village - Chand bad Kadeem, Tehsil- Berasia, District- Bhopal (M.P) [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुर्नमूल्यांकन के लिए टॉर के प्रस्तुतीकरण का है, जिसमें आज दिनांक 16/12/23 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Prakash Mandhwani** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–1 श्रेणी के अंतर्गत प्रकरण टॉर प्रस्तुतीकरण का है ।	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri PRAKASH MANDHWANI, Project Proponent, House No. 59A, Prabhu Nagar, Idgah Hills, Bhopal (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	342/1/2, 346/1/2/1, 346/1/2/2 & 348/2 (निजी – नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village - Chand bad Kadeem, Tehsil- Berasia, District- Bhopal (M.P) 57,330 cum/year)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 4002 दिनांक 18/04/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया भोपाल के पत्र क्रमांक 1258 दिनांक 28/07/17 के द्वारा पत्थर–57,330 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–57,330 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–57,330 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2506 दिनांक 20/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 29.255 हे. होता	

	है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2506 दिनांक 20/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय तहसीलदार, तहसील बैरसिया जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 149 दिनांक 26/05/17 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चांदबड़ कदीम जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 24 दिनांक 16/08/14 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–28 के सरल क्रमांक–61 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....

10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):

- Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
- GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
- Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
- Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
- Verifiable proof of CER

16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
19 प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

11. Case No 10721/2023 Smt. Asha Patwala, Lessee, R/o 91, Sukh Niwas, District-Indore (MP)-452013, Prior Environment Clearance for Dhamanda Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (19885 cum per year) (Khasra No. 37/1), Village-Dhamanda, Tehsil-Dewas, District-Dewas (MP) [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुर्नमूल्यांकन के लिए टॉर के प्रस्तुतीकरण का है, जिसमें आज दिनांक 16/12/23 को परियोजना प्रस्तावक Smt. Asha Patwala Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

702वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 दिसम्बर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
श्रेणी (बी–1 / बी–2)	बी–1 श्रेणी के अंतर्गत प्रकरण टॉर प्रस्तुतीकरण का है ।	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Smt. Asha Patwala, Lessee, R/o- 91 Sukh Niwas Indore Tehsil & District- Indore (M.P.)	
खसरा नं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	37/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village Dhamanda, Tehsil Dewas, District Dewas (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रमांक 188 दिनांक 13 / 02 / 19 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	परियोजना प्रस्तावक ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि खदान के पूर्व दिशा से गुजर रही रोड़ के संरक्षण हेतु रोड़ से 200 मीटर तक रॉक ब्रेकर से एवं उसके बाद ब्लास्टिंग से खनन् किया जावेगा ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया देवास के पत्र क्रमांक 44 दिनांक 08 / 06 / 16 के द्वारा पत्थर–55,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
नया / क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–19,885 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–19,885 घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 10 / 08 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 11.740 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 10 / 08 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 10 / 08 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भानगढ़ जिला देवास के प्रमाण पत्र दिनांक 04 / 06 / 09 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं	

	है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–18 के सरल क्रमांक–2 पर दर्ज है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
5. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
6. OB Dump and waste management with facts and figures:
7. Top soil management with soil profile:
8. Detail of old Environment Clearance with validity period:
9. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
10. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
11. Water requirement (KLD):
12. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
13. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
14. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
15. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER.
16. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
17. Carbon footprint.
18. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
19. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी

दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs.
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

12. <u>Case No 10722/2023 Shri Narendra Roopchand Kandhari, Partner, M/s Sahil Infra, 108, Capt. C S Naidu Arcade, 10/2, Old Palasia, District-Indore (MP)- 452001, Prior Environment Clearance for Residential Cum Commercial Building "SAHIL ELEGANT" in an area of 0.5399 ha. (Total Plot Area – 5399.74 sqm., Total Built up Area - 23339.93) (Khasra No. RC- 04), Village-INDORE CITY, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) Cat. 8(a)Building Construction Projects.</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Residential Cum Commercial Building "SAHIL ELEGANT" in an area of 0.5399 ha. (Total Plot Area – 5399.74 sqm., Total Built up Area - 23339.93) (Khasra No. RC- 04), Village-INDORE CITY, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) Cat. 8(a)Building Construction Projects.

<u>PP Submitted following the details about the Projects:-</u>

SN	Information Required	Details
1.	**Project Name**	Shri Narendra Roopchand Kandhari, Partner, M/s Sahil Infra, 108, Capt. C S Naidu Arcade, 10/2, Old Palasia, District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for Residential Cum Commercial Building "SAHIL ELEGANT" in an area of 0.5399 ha. (23339.93 sq.m.) (Khasra No. RC- 04), Village-INDORE CITY, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [449330] **Total Plot Area – 5399.74 sqm., Total Built up Area - 23339.93 Sq.m.** ***Cat. 8(a)Building Construction Projects.***
2.	**Description of Project**	Proposed Project for Residential cum Commercial Building.
3.	**Project Proposal**	New.
4.	**Declaration**	PP Submit affidavit No construction start at site dated 25/10/2023.
5.	**Land Area**	0.5399 ha.
6.	**Project Cost**	6074 Lakh.
7.	**Building Permission letter**	Letter No. 3935 dated 06/06/2023.
8.	**NBWL Application Status**	WL/MP/INFRA/450010/2023.

		Proposed Land distance - 5 km away from Ralamandal wild life Sanctury.
9.	**T&CP Permission**	Letter No. 6992 dated 27/08/2016.
10.	**Lat./Log. As per Form -1**	As per parivesh Portal uploaded information.
11.	**Parking Area.**	-
12.	**Water NOC**	Letter No. 8481 dated 06/10/2023.
13.	**MSW NOC**	-
14.	**Extra treated Sewage NOC**	Letter No. 3067 dated 11/10/2023.
15.	**Fire NOC**	Letter No. 600 dated 05/10/2023.
16.	**Water Requrement**	
17.	**Solid Waste Generation**	63 TPA.
18.	**E-Waste Genaration**	0.37 TPA.
19.	**DG set details**	1 x 250 KVA.
20.	**Registry Copy**	Dated 30/06/2023.
21.	**Env. Consultant**	M/s Rian Enviro Private Limited Repl Patna, Bihar. Valid up to 09/11/2024.

During presentation PP submitted that proposed project is in 05 parts and T&CPO approval has been obtained for the same. Shed like structure is observed in the premises, PP submitted that this is their site office.

ADS- बैठक मे प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गईः–

1. अद्यतन भूमि विकास नियम के अनुसार ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत प्रावधानित क्षेत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावें।
2. जो ऑफिस/कर्मशियल क्षेत्र में फलोटिंग पॉपुलेशन की संख्या को बताया है व तर्कसंगंत प्रतीत नहीं होती अतः स्पष्ट जानकारी ईआई रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
3. पार्किग स्थान में वाहन की संख्या की वास्तविक गणना व तदानुसार पार्किग विवरण यथानुसार दर्शायी जाये।
4. प्रोजेक्ट एरिया के अंदर स्थित पेडों की स्थिति एवं यदि काटा जाना प्रस्तावित है तो उसका विवरण ।
5. एक्रेडियेटेड एक्सपर्ट संस्थान द्वारा ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करें ।

6- All NOCs (Water/MSW/Fire/G.W. use, etc.) to be submitted.

7- PP's commitment that the BOD level shall be maintained upto 3.0 mg/l in the proposed STP.

8- Looking to the use of e-vehicles appropriate battery charging points per towers shall be provided.
9- Proposed contribution of solar light shall be 30 % of total power consumption.
10- Provision of Roof top greening, roof top solar panel and electric charging points.
11- For indoor air quality the ventilation provisions shall be made in few rooms as per National Building Code of India.
12- Provision of Public Facilities (Toilets for men & women separately) in appropriate numbers to the house hold workerts and visitors.
13- Revised plantation scheme as suggested by committee

13. Case No 10723/2023 VANDANA BISWAS, Lessee, R/o- Village- Balpur, Tehsil- Sondwa, District- Alirajpur (M.P. -457888, Prior Environment Clearance for Kulwat Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone - 19400 cum per year and Overwarden – 4000 cum per year, Total – 23,400 cum per year) (Khasra No. 286), Village Kulwat, Tehsil Sondwa, District Alirajpur (M.P.).DEIAA to SEIAA-B2 Case.

प्रस्तावित बी–2 श्रेणी अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के प्रस्तुतीकरण का है, जिसमें आज दिनांक 16/12/23 को परियोजना प्रस्तावक VANDANA BISWAS Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 श्रेणी के अंतर्गत प्रकरण पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है।	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri VANDANA BISWAS, Lessee, R/o- Village- Balpur, Tehsil- Sondwa, District- Alirajpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	286 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village Kulwat, Tehsil Sondwa, District Alirajpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 277 दिनांक 18/06/18 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया अलीराजपुर के पत्र क्रमांक 209 दिनांक 02/06/18 के द्वारा पत्थर–19,400 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–19,400 घनमीटर/वर्ष एवं ओव्हर वर्डन–4000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–19,400 घनमीटर/वर्ष एवं ओव्हर वर्डन–4000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीरापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 197 दिनांक 07/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीरापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 197 दिनांक 07/02/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीरापुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 197 दिनांक 07/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कुलवट जिला अलीराजपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–8 दिनांक निरंक अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–37 के सरल क्रमांक–6 पर दर्ज है ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई के समीक्षा की गई। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के बारे में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत कीः

- Topographically the applied area is part of hillock and having slope towards southern direction, highest surface elevation of the applied area is 237 m above MSL, located in northern part and lowest surface elevation is 190m above which is located in southern part. The elevation difference is of 47m.
- The plantation intended for the leased area will encompass approximately **0.40 hectares**, with a proposed total of **590 plants**.
- **प्रारंभ में, DEIAA पर्यावरण मंजूरी के अनुसार , परियोजना प्रस्तावक को पेड़ (प्रति हेक्टेयर 45 पौधे) लगाने की आवश्यकता थी।, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित संख्या में पौधे लगाए**

गए। इसके बाद, नई नीति के तहत, प्रस्तावक अब पूर्व–रोपण चरण को निष्पादित करने के लिए बाध्य हैं, जो कुल प्रस्तावित वृक्षारोपण का 25 प्रतिशत (यानी कुल 2400 पौधे) है। तदनुसार, प्रस्तावक ने सफलतापूर्वक 200 पौधे लगाए व वितरित किये हैं, अब शेष 2200 पौधे लगाने की पौधारोपण योजना प्रस्तुत की गई।

- **खदान क्षेत्र गहरें ढाल क्षेत्र में स्थित है अतः पहाडी की ओर सेटबेक (0.7070 हे.) देते हुये रिवाईस्ड प्रोडक्शन प्लान व सरफेस प्लान में दर्शाया गया है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्वीकृत माईनिंग प्लान के अनुसार 15 मी. के नीचे खनन कार्य नहीं किया जावेगा।**

प्रस्तुतीकरण के **दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान को संचालन सम्मति प्राप्त नहीं है जिस कारण से अभी तक खदान में खनिज विभाग से भू–प्रवेश अप्राप्त है। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय (खनिज विभाग, जिला अलिराजपुर) का पत्र क्रमांक 1326 दिनांक 09/11/2023 प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि डिया ई.सी की शर्तो का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका।**

समस्त पहलूओ पर विचार कर समिति द्वारा प्रकरण को पर्यावरण स्वीकृति हेतु सशर्त अनुशंसित करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–19,400 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 7.16 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.1.66 .लाख प्रति वर्ष ।
3. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर भू–प्रवेश करने की दिनांक से 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
4. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. **परियो**जना **प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्वीकृत माईनिंग प्लान के अनुसार 15 मी. के नीचे खनन कार्य नहीं किया जावेगा।**
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.5 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पंचायत कुलवट में ग्राम के अधोसंरचना विकास हेतु उल्लेखित राशि तीन महीने में जमा करी जावेगी	**50,000/-**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2220 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियतस्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू , करंज, चिरोल , सफेद सिरिस, पीपल आदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	570पौधे
2	परिवहनमार्गमें(न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	250 पौधे
3	ग्राम कुलवट स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में	पुत्रंजीवा , मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50 पौधे
4	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1330 पौधे
		कुल वृक्षारोपण	**2220 पौधे**

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

14. <u>Case No 10724/2023 Shri Abdul Khan, Lessee, R/o Village-Raghunathpur, Tehsil-Veerpur, District-Sheopur (MP)-476226, Prior Environment Clearance for Raghunathpur Soil Quarry in an area of 1.432 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 17, 15/2 min-5), Village-Raghunathpur, Tehsil-Beerpur, District-Sheopur (MP)B-2.</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 16/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Abdul Khan, Lessee, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात)उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

702वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 दिसम्बर 2023

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Abdul Khan, Lessee, R/o Village-Raghunathpur, Tehsil-Veerpur, District-Sheopur (MP)-476226, Prior Environment Clearance for Raghunathpur Soil Quarry in an area of 1.432 ha. (2,000 cum per year) (Khasra No. - 17, 15/2 min-5), Village-Raghunathpur, Tehsil-Beerpur, District-Sheopur (MP) [438390]
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.–17, 15/2 min-5, एरिया– 1.432 ha., निजी भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम– रघुनाथपुर, तहसील – बीरपुर, जिला– श्योरपुर (म.प्र.).
CTO	वैद्यता 19/01/2024.
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 11798 दिनांक 28/09/2017.
परियोजना की श्रेणी	बी–2.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	No Blasting Proposed (Semi-mechanized in In Soil Case).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया से ई.सी जारी की गई थी।
उत्पादन क्षमता	**स्वाईल – 2,000** घन मी/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 8395 दिनांक 23/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नही है, इस प्रकार कुल रकबा 1.432 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1027 (ए) दिनांक 10/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1027 (ए) दिनांक 10/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत– रघुनाथपुर जिला – श्योरपुर का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 08 दिनांक 17/04/2017 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	खदान के अंदर कुछ पेड लगे हुये हैं एवं खदान क्षेत्र में चिमनी भी लगी हुई है एवं दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर कुछ कच्चे मकान दिखाई दे रहे है।.
	दक्षिण दिशा– पक्का रोड लगभग 65 मी.

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– 18 के सरल क्रमांक – 29 पर दर्ज है।

प्रकरण का परिक्षण

ADS- समिति द्वारा डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई । प्रकरण के परिक्षण के दौरान ई.सी. की शर्तो के बिन्दुओं को देखा गया :–

- प्रश्नाधीन खदान में फेंसिंग की स्थिति अस्पष्ट है। खदान में फेन्सिंग की खंबों के बीच की दूरी लगभग 20 से 25 फिट देखी गई एवं कई पौधे पॉलिथिन के साथ दिखाई दे रहे है अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि पॉलिथिन हटाकर पौधा रोपण किया जाये।
- पूर्व डिया की ई.सी. की शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है

प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- परियोजना प्रस्तावक फेंसिंग के खंबों के बीच की दूरी 10 फिट रखने प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- समिति के द्वारा सुझाव अनुसार पुर्नरक्षित पौधा रोपण का प्रस्ताव।
- **स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप सामजिक एवं पर्यावरण के अनुरूप क्षेत्र में कार्य किया जावें व ईएमपी/सीआर में भी प्रस्तुत किया जावे।**
- प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों (जैसे कच्ची एवं पक्की सडक) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें ।

15. Case No 10725/2023 Shri Raghunandan Singh, Lease Owner, R/o 86, Laxmi Nagar, District-Jhabua (MP)-457661, Prior Environment Clearance for Jhakela Stone Mine in an area of 0.90 ha. (5820 cum per year) (Khasra No. 851), Village -Jhakela, Tehsil-Rama, District –Jhabua (M.P.) [DEIAA]

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन के प्रस्तुतीकरण का है, जिसमें आज दिनांक 16/12/23 को परियोजना प्रस्तावक Shri Raghunandan Singh Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

702वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 दिसम्बर 2023

श्रेणी (बी–1/बी–2)	बी–2 श्रेणी के अंतर्गत प्रकरण पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है ।	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RAGHUNANDAN SINGH, lease Owner, 86, Laxmi Nagar, Jhabua, Madhya Pradesh, 457661	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	851 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	0.900 hectare.
स्थल	Village -Jhakela, Tehsil-Rama, District –Jhabua (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालनायल, भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र पृ. क्रमांक 16883–84 दिनांक 12/12/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 37 दिनांक 31/05/16 के द्वारा पत्थर–5820 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–5820 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–5820 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 676 दिनांक 27/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 676 दिनांक 27/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 676 दिनांक 27/07/23 अनुसार 50 मीटर पर नाला एवं 300 मीटर पर सड़क स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झाकेला जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 21/01/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–18 के सरल क्रमांक–15 पर दर्ज है ।	

<u>प्रकरण का परिक्षण</u>

समिति द्वारा डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई । प्रकरण के परिक्षण के दौरान ई. सी. की शर्तो के बिन्दुओं को देखा गया :–

- प्रश्नाधीन खदान में फेंसिंग कार्य अपूर्ण है। खदान में फेन्सिंग की खंबों के बीच की दूरी लगभग 20 से 25 फिट देखी गई एवं कई पौधे पॉलिथिन के साथ दिखाई दे रहे है अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि पॉलिथिन हटाकर पौधा रोपण किया जाये।
- पूर्व डिया की ई.सी. की शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है
- ई.सी. में अधिरोपित शर्त सिल्ट मैनेजमेंन्ट से संबंधित(शर्त क्रमांक 14) का पालन नहीं हुआ है।

ADS- समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गयेः–

1. **खदान क्षेत्र के एक ओर फेंसिंग कार्य पूर्ण नही किया गया है अतः फेंसिंग कार्य का प्रस्ताव बजट सहित ई.एम.पी में प्रस्तुत करे ।**
2. **समिति के द्वारा सुझाव अनुसार पुर्नरक्षित पौधा रोपण का प्रस्ताव।**
3. **उपर्युक्त स्थलों पर गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टेंक के निमार्ण करने का प्रस्ताव बजट सहित ई.एम. पी में प्रस्तुत करे ।**
4. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे कच्ची एवं पक्की सडक) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

16. Case No 10726/2023 Shri Mukesh Pawar, Lessee, R/o Village-Kadhai, Tehsil-Betul, District-Betul (MP)-460001, Prior Environment Clearance for Nayak Charsi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (15970 cum per year) (Khasra No. 218/1), Village-Nayakcharsi, Tehsil-Betul, District-Betul (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16/12/23 को परियोजना प्रस्तावक Shri Mukesh Pawar, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri MUKESH PAWAR, Lessee, R/o- Village-Kadhai,Tehsil-Betul, District- Betul (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	218/1 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक को भू–स्वामी की सहमति प्राप्त है)	2.0 hectare.
स्थल	Village Nayak Charsi, Tehsil Betul, District Betul (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1139	

	दिनांक 21/06/2018 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक–9 दिनांक 12/02/2018 के द्वारा पत्थर–15,970 घनमीटर/वर्ष एवं मुरम–10,000 घनमीटर/ वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–15,970 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–15,970 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 615 दिनांक 04/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 615 दिनांक 04/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 615 दिनांक 04/04/23 अनुसार 460 मीटर की दूरी पर पक्का रास्ता स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दिवानचारसी जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 16/08/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–18 के सरल क्रमांक–12 पर दर्ज है ।

<u>प्रकरण का परिक्षण</u>

समिति द्वारा डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई । प्रकरण के परिक्षण के दौरान ई. सी. की शर्तो के बिन्दुओं को देखा गया :–

1. प्रश्नाधीन खदान में फेंसिंग कार्य अपूर्ण है।
2. पूर्व डिया की ई.सी. की शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण करना था, परन्तु बेरियर जोन में जगह नहीं छोडी गई है।
3. गारलेण्ड ड्रेन नहीं बनाया गया है (ई.सी. की शर्त कंमांक 14 का पालन नहीं हुआ है)।

ADS- समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गयेः–

1. खदान क्षेत्र के एक ओर फेंसिंग कार्य पूर्ण नही किया गया है अतः फेंसिंग कार्य का प्रस्ताव बजट सहित ई.एम.पी में प्रस्तुत करे ।
2. समिति के द्वारा सुझाव अनुसार पुर्नरक्षित पौधा रोपण का प्रस्ताव।
3. उपर्युक्त स्थलों पर गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टेंक के निमार्ण करने का प्रस्ताव बजट सहित ई.एम. पी में प्रस्तुत करे ।
4. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे कच्ची एवं पक्की सडक) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

17. Case No 10727/2023 Shri Gaurav Bhanot, Owner, 1101, Bhanot House, Gorakhpur, District-Jabalpur (MP)-480021, Prior Environment Clearance for Badaiyakheda Stone Quarry Mine in an area of 1.25 ha. (25347 cum per year) (Khasra No. 20, 22, 24P), Village-Badhaiya Kheda, Tehsil-Jabalpur, District-Jabalpur (MP) [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन टॉर के प्रस्तुतीकरण का है, जिसमें आज दिनांक 16/12/23 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Gaurav Bhanot, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
श्रेणी (बी–1/बी–2)	प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तुतीकरण का है ।	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GAURAV BHANOT, Owner, 1101, Bhanot house, Gorakhpur, Jabalpur (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	20, 22, 24 part (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की)	1.25 hectare.
स्थल	Village: Badaiyakheda, Tehsil & District: Jabalpur, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र पृ. कमांक 4171 दिनांक 10/03/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण	डिया जबलपुर के पत्र कमांक 120 दिनांक 11/05/17 के द्वारा	

(यदि लागू हो)	पत्थर–24,870 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–25,347 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–25,347 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 305 दिनांक 23/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 12.13 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 305 दिनांक 23/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 305 दिनांक 23/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बढैयाखेड़ा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 01/06/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के 1017 दिनांक 13/10/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I

2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. Ecological damage evaluation and remedy plan wrt flora and fauna and tree felling.
21. Eco Sytem services study.
22. Surface water and soil conservation plan.
23. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

18. **Case No 10728/2023 Shri Gopal Choudhary, Lessee, R/o Village-Arnod, District-Pratapgarh (RJ)-312615, Prior Environment Clearance for Bibdod Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (16975 cum per year) (Khasra No. 65), Village- Bibdod, Tehsil-Ratlam, District- Ratlam (M.P.) [DEIAA]**

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16/12/23 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gopal Choudhary, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GOPAL CHOUDHARY, Lessee, R/o- Village- Arnod, District-Pratapgarh (Rajasthan)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	65 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Bibdod, Tehsil- Ratlam, District- Ratlam (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1987 दिनांक 28/11/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 1089 दिनांक 16/12/16 के द्वारा पत्थर–16,975 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–16,975 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–16,975 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1694 दिनांक 02/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1694 दिनांक 02/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1694 दिनांक 02/08/23 अनुसार 200 मीटर	

	पर जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/ नहर/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिबड़ौद जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–8 दिनांक 14/02/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–16 के सरल क्रमांक–94 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में यह लीज श्री दिनेश पोरवाल के नाम पर थी जिसका अंतरण कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 1987 दिनांक 28/11/2022 को गोपाल चौधरी के नाम पर हो चूका है। वर्तमान परियोजना प्रस्तावक द्वारा गत वर्ष में डिया ई.सी की शर्तो का आंशिक क्रियान्वयन किया गया है तथा आगामी 03 माह की अवधि में समस्त कार्य पूर्ण कर लिये जावेगें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–16975 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 7.39 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. ...लाख प्रति वर्ष ।
3. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
4. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.72 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
रोगीकल्याणसमितिमेंग्रामबिबड़ौदहेतुउल्लेखितराशितीनमहीनेमेंजमाकरवाईजावेगी	**75,000/-**

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**

1	बैरियर जोन में	**नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू , करंज, चिरोल , सफेदसिरिस, पीपलआदि**एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	590पौधे
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपलआदि।एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	240 पौधे
3	ग्रामबिबड़ौद के ग्रामपंचायतमें वृक्षारोपण	पुत्रंजीवामोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50 पौधे
4	ग्रामबिबड़ौद के मंदिरमें वृक्षारोपण	बरगद, आंवलापुत्रंजीवा, मोलश्री , सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50 पौधे
5	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1470 पौधे
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

19. <u>Case No 10729/2023 Shri Rajesh Thakur, Owner, R/o Ward No. 7, Devi Mohalla, Bhaisdehi, District-Betul (MP)-460220, Prior Environment Clearance for Dhudiyanai Crusher Stone Quarry in an area of 1.10 ha. (7684 cum per year) (Khasra No. 166/3), Village-Ghudiya Nai, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP) [DEIAA]</u>

प्रकरण आज सेक की 702वीं बैठक दिनांक 16/12/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

20. Case No 10730/2023 Shri Bheem Awadhiya, Owner, R/o Narmadaganj, Tehsil & District-Dindori (MP)-481880, Prior Environment Clearance for Ganeshpur Dhangaon Ryt Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5005 cum per year) (Khasra No. 99), Village-Ganeshpur, Tehsil-Dindori, District-Dindori (MP) [DEIAA]

प्रकरण आज सेक की 702वीं बैठक दिनांक 16/12/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

21. Case No 8007/2020 M/s Satguru Cements Private Limited, 601/1, Airen Heights, Scheme No. 54, PU - 3, Oppo. C - 21 Mall, AB Road, Indore, MP, Prior Environment Clearance for Limestone Deposit in an area of 95.0 ha. (336912 tonne per annum) (Khasra No. 368, 369, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 391, 394/1/1, 394/1/2, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 204, 213, 218, 220, 221, 222, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 400, 403/1/1, 403/1/2, Village - Bekliya, Tehsil - Gandhwani, Dist. Dhar. (EIA)

प्रस्तावित खदान लाईम स्टोन बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 16/12/23 को परियोजना प्रस्तावक रविन्द्र जोशी जनरल मेनेजर, रविन्द्र जाकुण्डे, जनरल मेनेजर –माईनिंग एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri Rajesh Bansal, Director, M/s SATGURU CEMENTS PRIVATE LIMITED, PU4601/1, Airen Heights. Scheme No. 54, PU-3, Opposite C-21 Mall, A. B. Road, Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	368, 369, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 391, 394/1/1, 394/1/2, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 204, 213, 218, 220, 221, 222, 228, 229, 233, 234, 235, 236, 400, 403/1/1, 403/1/2(निजी (आदिवासी) सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड कुछ भू–स्वामियों की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	95.00 hectare.

702वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 दिसम्बर 2023

स्थल	ग्राम BEKLYA तसहील Gandhwani जिला Dhar (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–3–24–2019/12/दिनांक 25/01/2021 के द्वारा आवंटित ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार उत्खनन् रॉक ब्रेकर से किया जावेगा ।
टॉर	सेक की 473वीं बैठक दिनांक 07/01/2021 को अनुशंसित । सिया के पत्र क्रमांक 107 दिनांक 03/02/21 एवं पत्र क्रमांक 1270 दिनांक 12/09/23 के द्वारा Limestone-3,36,912 tonne per annum TPA के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाईम Limestone-209815 TPA, mine waste-55773 TPA & Overburden-71324 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Limestone-209815 TPA, mine waste-55773 TPA & Overburden-71324 TPA घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1551 दिनांक 27/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1551 दिनांक 27/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1551 दिनांक 27/06/23 अनुसार 250 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट, रोड़, मरघट एवं 500 मीअर की दूरी पर नदी ताला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बैकल्या जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–22 दिनांक 26/01/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रस्तावित खनिज मुख्य खनिज होने के कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं है ।

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु	Providing infrastructure support to the Aganwadi and School of village Bekaliya, Roads repair and maintenance , Borewell at school and Aganwadi center of Village Bekaliya, fund for development to need base infrastructure at Gram Bekaliya etc. आपत्तियॉ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस. आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

During presentation PP submitted that this is the case of lime stone mine which is captive in nature and Limestone will be used in the own cement plant. The lease area is 95 ha. and out of that 50.034 hact is govt land and 39.97 hact land is belong to private land owned by tribal.

PP submitted that the land acquisition from tribal land shall be executed under 247 section before the land entry after obtaining the EC. The lease area is divided in two blocks. Considering the nature of limestone (coroline and nodular type), blasting will not be carried out. PP also submitted that Rs. 218 crore has been proposed under schedule-II and schedule-III under LARR act which will be distributed through district administration prior to operation of mine.

Presently 685 trees i.e. Neem, Palas, Babool, Aam and other local species are observed within lease area and out of those, 100 numbers of trees will be cut down during mining activities. Project proponent are already planted about 1000 trees i.e. Neem, Katahal, Karanj, Sironj, Sheesam, Nimbu, Amrood, Aam and Kesiyasarbhi in the lease area and 800 numbers of trees were distributed at nearby various school.

During presentation it was observed that the lease is in 02 parts and stream is existing within lease moreover a pucca road is also crossing the lease, some tree area existing within lease PP submitted that they will take proper safety distances and set back accordingly.

PP stated that at the conceptual period about 16.0 ha will be developed by plantation with 32000 no. of plants in lease area. The selection of species will depend on the availability of quality planting material. Additional 10000 no. of trees will be planted at nearby Villages. Present five year proposal are given in nodular Limestone zone and approximate recovery is considered 80% and rest 20% will be voids/ mining losses etc. and negligible waste will

be generated. Presently, there is no OB dump within the applied area. During the proposal period, the generated overburden will be dumped within the applied QL area. During the proposal period, Soil will not be generated. At the end of SOM period, about 26963 cum interstitial waste will be generated and same will be temporally dumped in lease area which is covered about 0.53ha area. At the end of conceptual period, about 3000 cum soil, 99834 cum interstitial waste will be generated and same will be used for backfilling of excavated area. The dumping will be temporary and is suggested to be dumped in the eastern part of the lease area. During the proposal period, no Soil Waste mineral will be generated. No sub grade minerals are available at the mine. The manner of disposal of waste will be mechanically .Reclamation and rehabilitation will be done after mining starts and mined out area is generated. However in the event of non-proving the reserves after carrying out exploration then in conceptual period the Blocks will be reclaimed by backfilling and rehabilitated by afforestation.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Limestone-209815 TPA, mine waste-55773 TPA & Overburden-71324 TPA.
2. **क्षतिपूर्ति के संबंध में:–**
    - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
3. जल संसाधन विभाग के समन्वय से लीज क्षेत्र के आसपास स्थित छोटे नाले,नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार किया जायें।
4. कृषि विभाग की श्री अन्न योजना में सहयोग करें।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 158.00 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 30.04 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 155.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

SN	Proposed CER Plan	Budget in Lacs		
		1st year	2nd year	3rd year

1	To ensure the Availability of continuous water in the newly developed water body in the form of renovation/reconstruction of existing small ponds, nallas, river around lease area with the technical advice from Irrigation department of the area	05	05	05
2	Distribution of 5 no plant of fruit bearing and vegetable seeds pockets to each villagers of Village Baklia	05	05	-
3	Provision of effective cooperation for implementation of Shri Anna Yojna with technical advice from Agriculture Department	05	05	-
4	Transfer of fund for through DFO Indore (Nodel Depatt) for following purposes Study on Effect of industrial, mining, urbanization etc over bird and vulture population, their habitat etc and conservation plan along with awareness in cooperation and collaboration with local bird lover/ watchers/ nature groups and institution specially in Dhar and Indore area. Report shall be submitted to SEIAA and PCCF. For future action plan in relation to impact of all mentioned activities and future measure to regulate and control	05	-	-
5	Fund to Veterinary department of the area (Gandhwani or nearby) for their needbase requirement	05	05	05
6	Fund to PHC of Bekaliya/ Ghandhwai of the area for their need base requirement and infrastructure improvement	05	05	
7	Fund to Anganwadi of the bekliya and nearby villages for their needbase requirement	05	05	05
8	Fund to registered Gaushala of Gandhawani for their	05	05	-

	needbase requirement / improvement			
		40	**35**	**10**
	Total	**95.00**		
(B)				
5	Provisions of skill training will be provided to youth of affected village and nearby villages and 10 boys and 10 Girls of Village Bakliya with necessary tools and equioment at the nearest ITI	Rs 60 lacs (Included in compliance of LARR Act)		
	Grand total	**Rs. 95+60= 155 Lacs**		

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	Along with barrier zone/ garland drain	Seetafal, Saugon ,, Arjun, Neem, Seesam, karanj, Chirol, Ashok, and other local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	4000
2	Along with barrier zone/garland drain, Over Backfilled area	seetafal, Saugon , Arjun, Neem, Seesam, Chirol,, Ashok, and other local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	28000
3	For distribution of villagers	Neem, Jamun, Jam, Anwla, Aam, Munga, Achhar	**10000**

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज, जिला राजगढ़

जिला राजगढ़ के रेत खदानो के प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री मुकेश सिंह खनिज निरिक्षक, जिला – राजगढ़ उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ का पत्र क्रमांक 836 दिनांक 13/09/2023 की प्रति बिना किसी संलग्नक के प्रस्तुत की गई । पत्र के अनुसार निम्न 06 रेत खदानों की खनन योजनाओं में विभिन्न अभिलेखों में खसरा/रकबा में भिन्नता पाई गई है। इन 06 रेत खदानों का विवरण खसरा एवं रकबा निम्नानुसार है।

क्र.	रेत खदान का नाम	डी.एस.आर में अंकित खसरा रकबा (हे. में)		कार्यालयीन अभिलेख के आधार पर वास्तविक खसरा एवं रकबा (हे. में)	
		खसरा	रकबा (हे.में)	खसरा	रकबा (हे. में)
1	निद्राखेडी जोगा रेठानी	204, 201, 225, 223,	7.519	204, 201, 225, 223	7.509
2	भगोरा	01	22.000	1/1	24.000
3	पीलूखेडी	118, 153,	11.480	118, 153	14.781
4	छतरी नरसिंहगढ़	5	5.340	5	5.336
5	देहरीकराड	587, 587/883, 616	10.780	587, 587/883 ,616, 702, 703	10.782
6	हिरनखेडी	56, 75, 120, 129	24.000	55, 75, 120, 129, 547	24.000

समिति ने परिक्षण उपरांत उपरोक्त जानकारी सिया को भेजने का निर्णय लिया साथ ही खनिज निरिक्षक, जिला – राजगढ़ को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित कर लें कि MOEF & CC की अधिसूचना के प्रावधान अनुसार अनुमोदित डीएसआर जिला की वेबसाईट पर प्रदर्शित कर ली गई है। संशोधित जानकारी के साथ उक्त डीएसआर की 02 प्रतियां (हार्डकॉपी में) सेक कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.

q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
    - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊॅचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।